(92)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4609/2018/रायसेन/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 30-6-18 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 14/अपील/17-18.

दिनेश आत्मज रघुनाथ दास बैरागी
निवासी ग्राम गोरखा
तहसील बेगमगंज जिला रायसेन .....आवेदक

विरूद्ध

1. संतोष कुमार
2. राजकुमार
3. राजेश पुत्रगण रघुनाथ दास बैरागी
   निवासी ग्राम गोरखा
   तहसील बेगमगंज जिला रायसेन .....अनावेदकगण

श्री धीरेन्द्र मिश्रा, अभिभाषक, आवेदक
श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21/6/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 30-6-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गोरखा स्थित प्रश्नाधीन भूमि के बटवारे हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/अ-27/14-15 पंजीबद्ध कर दिनांक 6-7-15 को आदेश पारित कर बटवारा आदेश पारित किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 संतोष द्वारा अनुविभगीय अधिकारी, बेगमगंज के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 1-6-16 को अवधि विधान की धारा 5 सहित विलम्ब से प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25-2-2017 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुए नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध

आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील दिनांक 16-10-2017 को अवधि विधान की धारा 5 सहित विलम्ब से प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 30-6-2018 को आदेश पारित कर अपील निरस्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा गया । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी ने उभय पक्ष के पिता के नाम की भूमि खसरा नम्बर 84/2/3/2 रकबा 4.930 हेक्टेयर का बटवारा नहीं होने के आधार पर तहसील न्यायालय के विधिसंगत आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की गई है, क्योंकि उक्त भूमि के बटवारे हेतु पृथक से प्रकरण प्रचलित है । यह भी कहा गया कि यदि कोई खसरा नम्बर बटवारे से छूट गया था, तब अनुविभागीय अधिकारी को उक्त त्रुटि की सुधार हेतु प्रकरण तहसीलदार को वापिस किया जाना चाहिए था, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं कर, तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में भूल की गई है, जिस पर आयुक्त द्वारा भी कोई विचार नहीं किया गया है, इसलिए अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्ती योग्य हैं । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा सहमति के आधार पर विधिवत बटवारा आदेश पारित किया है, जिन पर कोई विचार नहीं करने में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त का आदेश निरस्त कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि बटवारे आवेदन पत्र पर अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गये हैं और न ही बटवारे में उसकी कोई सहमति है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा फर्द बटान पर आपत्ति करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है । इस आधार पर कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा संहिता में बटवारा हेतु बनाये गये नियमों का बिना पालन किए त्रुटिपूर्ण रूप से बटवारा आदेश पारित किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय ने स्वअर्जित सम्पत्ति का बटवारा करने में अवैधानिकता की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिसंगत निष्कर्ष निकालते हुए उचित आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा कोई भूल नहीं की गई है । अत: दोनों अपीलीय न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त के आदेश यथावत रखते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ शेष अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के समक्ष बटवारे हेतु जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें किन खसरे नम्बरों का बटवारा किन-किन सहखातेदारों के मध्य किया जाना, इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । सभी सहखातेदारों की ओर से बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना अभिलेख से परिलक्षित नहीं होता है । ऐसी स्थिति में बटवारे की कार्यवाही किया ही नहीं जा सकता था, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा इस ओर बिना विचार किए बटवारा आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । इसके अतिरिक्त तहसील न्यायालय द्वारा पिता के नाम दर्ज भूमि खसरा क्रमांक 84/2/3/2 रकबा 4.930 हेक्टेयर भूमि का बटवारा किया ही नहीं गया है । इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विवेचना उपरांत विधिसंगत आदेश पारित कर, तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में कोई भूल नहीं की गई है, जिसकी पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा भी कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । दोनों अपीलीय न्यायालयों के विधिसंगत समवर्ती निष्कर्ष हैं । इस संबंध में न्याय दृष्टांत 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त विश्लेषण एवं प्रतिपादित न्याय दृष्टांत के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं हैं ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 15-2-2018 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर